

राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2021 की पूर्व संध्या पर माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश

1. 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। हम आशा और विश्वास के साथ एक नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि **'प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है'** और चुनाव आयोग का निरंतर प्रयास रहा है कि **'कोई मतदाता न छूटे'**।
2. यह दिन हमें मतदाताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इसलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2021 के लिए रखा गया थीम है, **"मतदाता बनें - सशक्त, सुरक्षित, सतर्क और जागरूक।"**
3. आपमें से काफी लोग यह जानते होंगे कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत को गणतंत्र घोषित करने से एक दिन पहले अर्थात् 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। तब से 70 साल से अधिक का समय बीत चुका है। लोकसभा के सत्रह आम चुनावों के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के अनेक चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं।

4. भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी और सुगम रूप से आयोजित किए जाते रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है- वह है सुरक्षित चुनाव।
5. मतदाता के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा उनके मताधिकार के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आयोग के लिए वास्तव में एक कठिन चुनौती थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और सभी स्टैकहोल्डरों के साथ परामर्श करके महामारी के बीच चुनाव कराने के लिए विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए गए।
6. भारत निर्वाचन आयोग और मतदाताओं की एक-दूसरे के प्रति आस्था और विश्वास बिहार चुनावों में पूरे जोर-शोर से दिखाई दिया। इस चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनावों और यहां तक कि 2019 के आम चुनावों से भी अधिक रहा।
7. इन विषम परिस्थितियों में चुनावों का सफल संचालन हमारे सभी स्टैकहोल्डरों के सहयोग से ही संभव हो सका।
8. निकट भविष्य में चार राज्यों और एक केन्द्र-शासित प्रदेश में चुनाव आयोजित किए जाने हैं और इसके लिए पूरे जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। हम इन सभी राज्यों के मतदाताओं का आह्वान करते हैं कि वे बिना किसी भय या प्रलोभन अथवा किसी के प्रभाव में आए बिना अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।

9. हमें आशा है कि आप आयोग के सी-विजिल एप का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करेंगे। यह 2018 का पायलट प्रोजेक्ट था और 2019 के लोक सभा चुनावों में इसे पूरे देश में लागू किया गया था। यह नागरिकों को सशक्त करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन के रूप में विकसित हुआ है।
10. हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि मतदान प्रक्रिया और परिसरों को पूरी तरह सेनेटाइज करने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि आप सुरक्षित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
11. आयोग ने अपने स्टैकहोल्डरों की सुविधा के लिए कई नई पहल की हैं। कल सभी युवा, नए-पंजीकृत मतदाताओं के लिए ई-एपिक कार्ड का शुभारंभ किया जाएगा ताकि मतदाता के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल और डिजीटल बन सके।
12. **हैलो वोटर्स**, भारत निर्वाचन आयोग का वेब रेडियो है और यह अपनी तरह की अनूठी पहल है। इससे आपको आयोग के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में **हैलो वोटर्स** मतदाता जागरूकता और सूचना के मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा और आपको चुनावों के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले और साहसिक कार्य करने वाले कर्मियों की गाथा सुनाएगा तथा आपके अनुभवों एवं सुझावों का स्वागत करेगा।

13. आयोग ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रारंभ की गई है।
14. सर्विस वोटर्स की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट प्रणाली (ETPBS) तैयार की गई थी जिसके फलस्वरूप सर्विस वोटर्स ने रिकार्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
15. इस अवसर पर मैं भावी निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए निर्वाचन आयोग के विजन को आपसे साझा करना चाहूंगा। हमने आईआईटी मद्रास और अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर उच्च तकनीक का उपयोग करते हुए रिमोट वोटिंग पर अनुसंधान परियोजना शुरू की है। इसमें काफी प्रगति हुई है। इस परियोजना के मॉक ट्रायल भी शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे।
16. आयोग प्रवासी निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की दिशा में भी काम कर रहा है और इसके लिए विधि मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
17. एक बार फिर मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो सके।
